

कार्यालय उप वन संरक्षक, अजमेर

क्रमांक एफ ()एफसीए/उवसं/2015-16/
निमित्त,

12745 दिनांक :- 10-9-15

अधिसाषी अभियंता,
जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग,
परियोजना खण्ड, जवाजा।

विषय: Regarding permission for laying of water supply pipeline of dia 450 mm & 150 mm
(2 lines) by PHED along NH-08 (Masuda bypass) from NH Chainage 84.800 to 86.495.
संदर्भ: मुख्य वन संरक्षक, अजमेर का पत्रांक एफ11(37)एफसीए/मुवसंअ/2015/6210 दि.21.08.15 के क्रम
में।

गहांदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके कार्यालय के पत्रांक 362 दि.02.09.2015 द्वारा सन्दर्भित पत्र में अंकित शर्तों के क्रम में अप्पडरटेकिंग प्रेषित किये जाने पर रिगार्डिंग परमीशन फोर लेईंग ऑफ वॉटर सप्लाई पाईपलाईन ऑफ डाय 450 एमएम एण्ड 150 एमएम बाय पीएचडी अलोंग एनएच 8 (मसूदा बायपास) फॉम एनएच चैनेज 84.800 टू 86.495 कुल लम्बाई 1695 मीटर में चौड़ाई 1.00 मीटर में कूल 0.1695 हेक्टर क्षेत्र में पानी की पाईपलाईन रोड के सहारे सहारे अप्पडरग्राउण्ड 1.50 मीटर गहराई में राईट ऑफ वे डाली जाने की अनुमति वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राज. जयपुर के परिपत्र संख्या एफ 18(परिपत्र)97/एफसी/प्रमुवसं/8680 दि.11.12.2000 एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HOFF) राजस्थान जयपुर के परिपत्र संख्या 18(परिपत्र)97/वसु/प्रमुवसं/4333-4432 दि.16.06.2013 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्य वन संरक्षक, अजमेर द्वारा उनके कार्यालय के सन्दर्भित पत्र द्वारा शर्ताधीन स्वीकृति दिये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने पर पानी की पाईप लाईन सड़क के सहारे-सहारे नागाधिकार के अन्दर में अप्पडरग्राउण्ड (राईट ऑफ वे) डालने की स्वीकृति शर्ताधीन प्रदान की जाती है।

1. It has to be ensured that no tree felling takes place.
2. It has to be ensured that under ground laying of Water supply pipeline of dia 450 mm and two lines of 150 mm are laid along the roads and within the existing right of way and the maximum dimensions of the trench 1695 metre length, 1.50 metre depth and 1.00 metre width.
3. Any deviation from the above conditions will require separate submission of proposal/ permission under Forest (Conservation) Act.1980.
4. The user agency agrees to make good the land after use/maintenance.
5. The user agency agrees to make good any loss to Forest/Environment.
6. The user agency seeks permission from the concerned Dy.Conservator of Forest/D.F.O. for carrying out any maintenance.
7. उपरोक्त क्षेत्र में कार्य करने के पूर्व यदि अन्य विभागों से नियमान्तर्गत अनापत्ति प्राप्त करना आवश्यक हो तो दायित्व आपके विभाग का होगा।

भवदीय,

(राजीव चतुर्वेदी)
उप वन संरक्षक
अजमेर

क्रमांक :- सग /

दिनांक:-

1. प्रतिलिपि अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी, एफसीए, राज.जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक, अजमेर को उनके पत्रांक 6210 दि.21.08.15 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।
3. प्रतिलिपि क्षेत्रीय वन अधिकारी, ब्यावर को प्रेषित कर लेख है कि यह सुनिश्चित किया जावे कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र में जारी शर्ताधीन स्वीकृति अनुसार ही कार्य किया गया है। कार्य पूर्ण होने पर इस आशय का प्रमाण-पत्र भी भिजवावे कि कार्य शर्ताधीन ही पूर्ण हुआ है।

(राजीव चतुर्वेदी)
उप वन संरक्षक
अजमेर